



दिल्ली विकास प्राधिकरण
आवास (समन्वय) शाखा
द्वितीय तल, ब्लॉक - डी, विकास सदन, नई दिल्ली

कंप्यूटर नं. 115222

नं.: एफ/1/0066/2026/सीओआरडी/- समन्वय (एच)/4394

दिनांक: 01.10.2026,

परिपत्र

विषय: डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026 के अंतर्गत, पॉकेट 11, सेक्टर ए1-ए4 नरेला में 384, 1- बीएचके फ्लैटों के प्रस्ताव के संबंध में।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा देश की आवासीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष आवास योजना "डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026", लॉन्च की गई थी।

2. योजना के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए और कर्मजीवियों को आवास के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से किफायती श्रेणियों में इस स्कीम के अंतर्गत पॉकेट 11, सेक्टर ए1-ए4, नरेला में 384 अतिरिक्त नवनिर्मित 1-बीएचके फ्लैटों की पेशकश करने का निर्णय लिया गया है, अतिरिक्त फ्लैट्स की जानकारी नीचे दी गई है:

पॉकेट 11, सेक्टर ए1-ए4, नरेला में अतिरिक्त फ्लैटों का विवरण :

क्र.सं.	फ्लैट की श्रेणी	फ्लैटों की संख्या	प्लिंथ एरिया रेंज* (कॉमन एरिया और बालकनी सहित) (वर्ग मी. में)		छूट की पेशकश	डिस्पोजल प्राइस रेंज में मेंटेनेंस चार्ज शामिल नहीं है * (राशि लाख रुपये में) 25% छूट के बाद	
			न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1.	1-बीएचके	384 [टॉवर X]	60.86	61.34	25%	33.40	33.66
		384					

* पार्किंग एरिया भी उपलब्ध है {1-बीएचके: 5.76 वर्ग मी.}

ऊपर दी गई अनन्तिम निपटान राशि केवल इसी स्कीम के लिए मान्य है। कीमत फ्लैट के प्लिंथ एरिया के अनुरूप अलग-अलग होगी। इसके अतिरिक्त, मांग एवं आबंटन पत्र (डिमांड-कम-अलॉटमेंट लेटर) जारी किए जाने के समय मेंटेनेंस चार्ज, कन्वर्जन चार्ज और वॉटर कनेक्शन चार्ज अलग से लिए जाएंगे।

3. अतिरिक्त फ्लैट्स स्कीम की उन्हीं निबंधन और शर्तों पर ऑफर किए जाएंगे, जो डिस्पोजल प्राइस पर 25% की छूट के साथ स्कीम के तहत पहले ऑफर किए गए फ्लैट्स पर लागू थीं।

4. डीडीए के आवास पोर्टल (<https://eservices.dda.org.in>) के माध्यम से, उपलब्धता के आधार पर इन अतिरिक्त फ्लैटों का आवंटन भी पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के अनुसार किया जाएगा, बुकिंग में भाग लेने के लिए, इच्छुक खरीदार चल रही डीडीए कर्मजीवी आवास योजना 2026 में रजिस्टर कर सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही डीडीए के हाउसिंग डिपार्टमेंट की किसी एमसीएफएस स्कीम में रजिस्टर्ड है, तो वह भी इस स्कीम के तहत फ्लैट बुक करने के लिए पात्र होगा।

इन अतिरिक्त फ्लैटों की बुकिंग, नवरात्रि की शुभ शुरुआत पर रविवार 11 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे शुरू होगी।

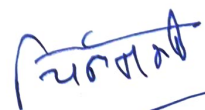
5. कर्मजीवी आवास योजना 2026 की विस्तृत स्कीम ब्रोशर में बताई गई शेष सभी शर्तें, पात्रता मानदण्ड, बुकिंग की राशि और प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा और यह ऑफर किए जा रहे अतिरिक्त फ्लैट्स पर लागू होंगे।

6. इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्कीम और ऑफर पर उपलब्ध अतिरिक्त फ्लैट्स के बारे में पूरी जानकारी के लिए डीडीए की वेबसाइट www.dda.gov.in और eservices.dda.org.in देखें। अतिरिक्त 384 1-बीएचके फ्लैट्स की सूची इसके साथ संलग्न है। किसी भी अन्य जानकारी या फ्लैट्स की भौतिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:

- क. श्री महेंद्र सिंह, (एई/ एनपीडी-9) (मोबाइल: 9873379012)
- ख. श्री विवेक प्रकाश, (एई/ एनपीडी -9) (मोबाइल: 7303871570)
- ग. श्री अर्चित कटियार , (जेई/ एनपीडी-9) (मोब: 9149080345)
- घ. श्री सुमित कुमार सिंह, (जेई/एनपीडी-9) (मोब: 8791579309)

यह डीडीए के उपाध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार



(चिन्मयी चक्रवर्ती)

उप निदेशक, आवास (समन्वय)